पिलर 3 के अंतर्गत बेसल-III प्रकटीकरण (30 सितंबर, 2025 तक)

डीएफ-2: पूंजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

1. पूंजी पर्याप्तता

बैंक संभावित नुकसान के जोखिम से बचाव और अपने हितधारकों, जमाकर्ताओं और लेनदारों की सुरक्षा के लिए पूँजी का रखरखाव और प्रबंधन करता है। बैंक की भावी पूँजी आवश्यकता को उसकी व्यावसायिक रणनीति के अनुसार, उसकी वार्षिक व्यावसायिक योजना के एक भाग के रूप में अनुमानित किया जाता है।

बेसल III दिशानिर्देशों के अनुरूप, जो 01 जुलाई, 2024 से प्रभावी हैं, बैंक अपने पूँजी अनुपात की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार करता रहा है। बेसल III मानदंडों का ध्यान टियर I पूँजी की गुणवत्ता और मात्रा पर केंद्रित है। बैंक का जोखिम प्रशासन ढाँचा जोखिम के प्रमुख क्षेत्रों जैसे ऋण, बाज़ार (तरलता सहित) और परिचालन जोखिम पर केंद्रित है और जहाँ तक संभव हो, प्रभावी और निरंतर निगरानी और नियंत्रण के लिए इन जोखिमों का परिमाणीकरण करता है।

2. जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए संगठनात्मक संरचना

बैंक द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के आकार और प्रकृति पर विचार करने के बाद निम्नलिखित संगठनात्मक संरचना विकसित की गई है।

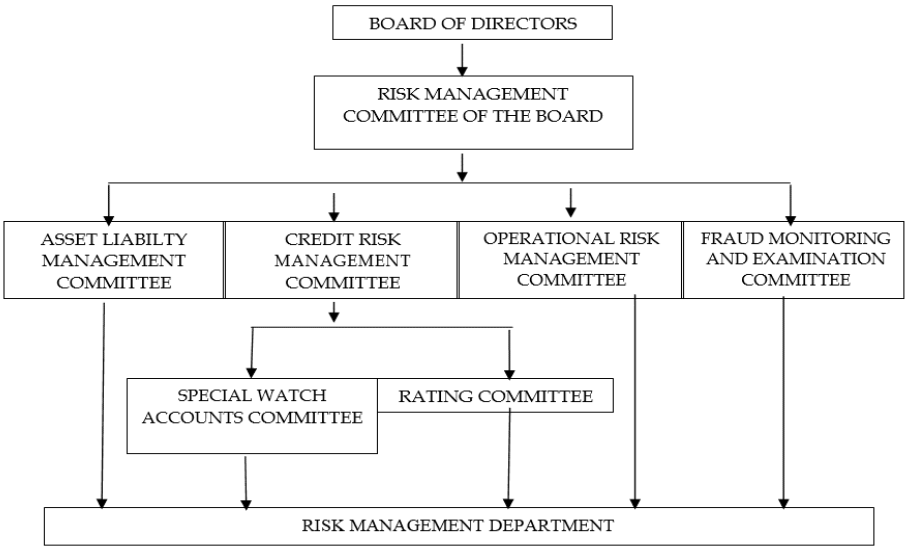

शीर्ष स्तर पर बोर्ड: जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना और पर्यवेक्षण की ज़िम्मेदारी बैंक के निदेशक मंडल की होगी। बोर्ड बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति को अनुमोदित करेगा और विभिन्न जोखिम सीमाएँ निर्धारित करेगा।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति: निदेशक मंडल ने बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए एक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति वित्तीय मॉडलों की मज़बूती सुनिश्चित करती है, जोखिम सहनशीलता सीमाओं के विरुद्ध प्रदर्शन की निगरानी करती है, और आंतरिक नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से बैंक के समग्र जोखिम प्रोफ़ाइल का आकलन करती है और बोर्ड को अनुमोदन के लिए जोखिम प्रबंधन नीतियों की सिफ़ारिश करती है।

जोखिम प्रबंधन विभाग: बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति को क्रियान्वित करता है और सभी व्यावसायिक कार्यों से स्वतंत्र होगा। इसके तीन कार्य हैं, बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम।

बैंक ने एकीकृत आधार पर बैंक-व्यापी जोखिम प्रबंधन के लिए एक संगठनात्मक ढाँचा स्थापित किया है। यह ढाँचा संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उद्यम-व्यापी आधार पर सभी भौतिक जोखिमों के मापन और प्रबंधन हेतु समन्वित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह ढाँचा नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। बोर्ड बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों को अनुमोदित करता है और बैंक की जोखिम क्षमता और जोखिम वहन क्षमता के आधार पर जोखिम सीमाएँ निर्धारित करता है।

बैंक के पास ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम, निवेश और उधार, संपार्श्विक नीति, जोखिम और सीमा प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ हैं। यह भौतिक जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के बैंक के संकल्प को और पुष्ट करता है।

3. जोखिम एक्सपोज़र और पूंजी पर्याप्तता

बैंक की एक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति है, जो बैंक के जोखिम प्रोफाइल के सापेक्ष पूंजी पर्याप्तता की समीक्षा करती है। यह नीति मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत वर्तमान और भविष्य के जोखिमों की पहचान, परिमाणीकरण और आकलन करती है। यह बैंक के जोखिम प्रोफाइल और पूंजी स्थिति पर गंभीर लेकिन संभावित परिदृश्यों के प्रभाव का आकलन करने के लिए नियामक तनाव स्थितियों सहित व्यापक तनाव परीक्षण के लिए एक रोडमैप भी प्रस्तुत करती है।

बैंक की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति स्तंभ II के अंतर्गत निम्नलिखित भौतिक जोखिमों को परिभाषित करती है:

क. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

ख. बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

ग. प्रतिष्ठा जोखिम

घ. रणनीतिक और व्यावसायिक जोखिम

ङ. अनुपालन जोखिम

च. चलनिधि जोखिम

छ. पेंशन दायित्व जोखिम

ज. साइबर सुरक्षा जोखिम

I. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम, किसी ऋणदाता द्वारा ऋण देने वाली संस्था के साथ किसी भी ऋण सुविधा के लिए अनुबंध की शर्तों को पूरा करने में विफलता या अपने दायित्व का पालन करने में विफलता से उत्पन्न होने वाली आय और पूंजी के लिए वर्तमान या संभावित जोखिम है।

बैंकों के लिए, ऋण क्रेडिट जोखिम का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट स्रोत हैं; हालाँकि, ऋण जोखिम के अन्य स्रोत बैंक की संपूर्ण गतिविधियों में मौजूद होते हैं, जिसमें बैंकिंग बही और व्यापार बही, और बैलेंस शीट पर और बैलेंस शीट के बाहर दोनों जगह शामिल हैं। बैंकों को विभिन्न वित्तीय साधनों में ऋण जोखिम (या प्रतिपक्ष जोखिम) का सामना करना पड़ रहा है।

II. बाजार ज़ोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बैलेंस शीट पर मौजूद या उससे बाहर की स्थिति के मूल्य पर इक्विटी और ब्याज दर बाज़ारों में उतार-चढ़ाव, ब्याज दर में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, बाज़ार जोखिम, ब्याज दरों के बाज़ार स्तर या प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और इक्विटी की कीमतों में बदलाव, साथ ही उन बदलावों की अस्थिरता के कारण बैंक की आय और पूँजी को होने वाला जोखिम है।

बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन ढांचा बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए जोखिम मूल्य, पीवी01 के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं को परिभाषित करता है, जिसे "ट्रेडिंग के लिए धारित " और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

III. परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों, या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान का जोखिम है। इस परिभाषा में कानूनी, धोखाधड़ी और तकनीकी जोखिम शामिल हैं, लेकिन रणनीतिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं।

IV. प्रतिपक्ष ऋण जोखिम

प्रतिपक्ष ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसके तहत किसी लेनदेन का प्रतिपक्ष, लेनदेन के नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान से पहले चूक कर सकता है। यदि चूक के समय प्रतिपक्ष के साथ लेनदेन या लेनदेन के पोर्टफोलियो का बैंक के लिए सकारात्मक आर्थिक मूल्य हो, तो आर्थिक हानि होगी। ऋण के माध्यम से ऋण जोखिम के विपरीत, जहाँ ऋण जोखिम एकतरफा होता है और केवल ऋणदाता बैंक ही हानि के जोखिम का सामना करता है, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम हानि का एक द्विपक्षीय जोखिम उत्पन्न करता है जिससे कई विभिन्न प्रकार के लेनदेन का बाजार मूल्य किसी भी प्रतिपक्ष के लिए सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है।

बैंक ने मुख्य रूप से हेजिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले डेरिवेटिव से जुड़े जोखिम प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। डेरिवेटिव नीति में अनुमत डेरिवेटिव उपकरणों और उनके आसपास के आंतरिक नियंत्रणों की सूची दी गई है। बैंक निम्नलिखित से सुरक्षा के लिए पूँजी रखेगा:

• डिफ़ॉल्ट जोखिम प्रभार - वह जोखिम है जिससे प्रतिपक्ष चूक करता है।

• मार्क-टू-मार्केट प्रतिपक्ष जोखिम - इसमें क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन जोखिम शामिल है।

V. बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम से तात्पर्य बैंकिंग बही परिसंपत्तियों, देनदारियों और ऑफ-बैलेंस-शीट स्थितियों को प्रभावित करने वाले ब्याज दरों में प्रतिकूल आंदोलनों से उत्पन्न आय और पूंजी के लिए वर्तमान या संभावित जोखिम से है।

मूल्यांकन के एक भाग के रूप में, बैंक ने इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए संशोधित अवधि अंतराल दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसके लिए बैंक द्वारा निर्दिष्ट (भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार) विभिन्न समय-सीमाओं में परिसंपत्तियों और देनदारियों का मानचित्रण आवश्यक है।

4. पूंजी पर्याप्तता का आकलन

बैंक को जिन पूंजीगत आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है, वे इस प्रकार हैं:

	नियामक पूंजी	**आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में**
(i)	न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात	5.5
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	1.5
(iii)	न्यूनतम टियर 1 पूंजी अनुपात [(i)+(ii)]	7.0
(iv)	टियर 2 पूंजी	2.0
(v)	न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात (एमटीसी) [(i)+(ii)]	9.0

बैंक द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी 9% है। बैंक का सीआरएआर, बेस्ड III पूंजी विनियमों में निर्धारित न्यूनतम नियामकीय सीमा से अधिक है और 31-03-2025 तक पूंजी अनुपात नीचे दिए गए हैं।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्र. सं.	**विवरण**	**30 सितंबर, 2025 तक राशि (करोड़ में)**
(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएँ	
	· मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	2,275.21
	· प्रतिभूतिकरण जोखिम	-

(ग)	बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं	
	· मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	388.00
	- ब्याज दर जोखिम	13.34
	- विदेशी मुद्रा जोखिम	12.12
	- इक्विटी जोखिम	362.54
(घ)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएँ	
	· मूल संकेतक दृष्टिकोण	359.66
(ड़)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूँजी	
	· समूह	
	- सीईटी 1 पूँजी	-
	- टियर 1 पूँजी	-
	- टियर 2 पूँजी	-
	- कुल पूँजी	-
	· एकल	
	- सीईटी 1 पूँजी	15,958.19
	- टियर 1 पूँजी	15,958.19
	- टियर 2 पूँजी	316.00
	- कुल पूँजी	16,274.19
(च)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूंजी अनुपात:	
	· समूह सीआरएआर	
	- सीईटी 1 अनुपात	-
	- टियर 1 अनुपात	-
	- टियर 2 अनुपात	-
	- सीआरएआर	-
	· एकल सीआरएआर	
	- सीईटी 1 अनुपात	46.09%
	- टियर 1 अनुपात	46.09%
	- टियर 2 अनुपात	0.91%
	- सीआरएआर	47.00%

डीएफ-3: ऋण जोखिम - सामान्य प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

1. पिछले देय और क्षतिग्रस्त की परिभाषाएँ (लेखा प्रयोजनों के लिए):

बैंक अपने ऋणों और निवेशों को भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित और गैर निष्पादित ऋणों में वर्गीकृत करता है।

2. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम को सरल शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि बैंक का उधारकर्ता या प्रतिपक्ष सहमत शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो सकता है। यह उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षों की ऋण गुणवत्ता में कमी से जुड़ी हानि की संभावना है। बैंक के पोर्टफोलियो में, हानियाँ ग्राहक या प्रतिपक्ष द्वारा ऋण, व्यापार, निपटान और अन्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थता या अनिच्छा के कारण पूर्ण चूक से उत्पन्न होती हैं। दूसरी ओर, हानियाँ ऋण गुणवत्ता में वास्तविक या अनुमानित गिरावट के कारण पोर्टफोलियो में कमी के कारण होती हैं।

बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

बैंक ने एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है। इस नीति का लक्ष्य, अन्य बातों के अलावा, बैंक के सभी परिचालनों में ऋण जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी ढाँचा तैयार करना और दीर्घकालिक रूप से संगठनात्मक सुदृढ़ता एवं स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह नीति बैंक के ऋण व्यवसाय की प्रकृति, क्रेडिट रेटिंग मॉडल, रेटिंग समिति की संरचना, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ, तथा बेसल 3 दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी गणना पद्धति का विस्तृत विवरण देती है।

क्रेडिट जोखिम रेटिंग मॉडल

वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, बैंक ने विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल तैयार किए हैं, जिनमें उधारकर्ताओं का मूल्यांकन एक आंतरिक रेटिंग समिति द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार, सभी गैर-एसएलआर निवेशों के लिए, जारीकर्ता/प्रतिपक्ष को एक उपयुक्त आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। वर्तमान में प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों और उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल का पालन किया जा रहा है।

ऋण स्वीकृति और संबंधित प्रक्रियाएं

क. ऋण मूल्यांकन मानक: स्वीकृति, संवितरण, संग्रहण और एमआईएस से संबंधित प्रक्रियाएँ मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती हैं। स्वीकृति ज्ञापन मानक संचालन प्रक्रिया में निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए जाते हैं। मूल्यांकन और स्वीकृति के मानदंडों में बुनियादी पात्रता मानदंडों और प्रमुख वित्तीय मानदंडों का अनुपालन शामिल है।

ख. जोखिम सीमाएँ: प्रतिपक्ष जोखिम मानदंड प्रतिपक्ष की आंतरिक रेटिंग के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और अधिकतम जोखिम सीमा बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार निर्धारित की जाती है। जोखिम प्रबंधन नीति में विभिन्न श्रेणियों के प्राथमिक ऋण संस्थानों जैसे आवास वित्त कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के लिए जोखिम मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

ग. मंजूरी देने की शक्तियां: मंजूरी देने की शक्तियां विभिन्न समितियों के माध्यम से बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित की जाती हैं।

ऋण निगरानी तंत्र:

ऋण निगरानी एक सतत प्रक्रिया है। प्रभावी ऋण निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बैंक ने संवितरण पूर्व और संवितरण पश्चात निगरानी तंत्र स्थापित किया है। बैंक के पास ऋण पर निरंतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पोर्टफोलियो का नियमित विश्लेषण करने की एक प्रणाली है।

ऋण निरीक्षण: प्रभावी ऋण निगरानी के लिए संवितरण पूर्व ऋण निरीक्षण किए जाते हैं। संस्थानों की रेटिंग के आधार पर समय-समय पर ऋण निरीक्षण भी किए जाते हैं।

विशेष निगरानी खातों की निगरानी: विशेष निगरानी खाता वर्गीकरण का उद्देश्य कमज़ोरी के संकेत दिखाने वाले ऋण खातों की पहचान करना और कुछ मानदंडों के आधार पर बैंक के विशेष निगरानी खाता मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करना है। बैंक ने प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का एक समूह भी निर्धारित किया है और कमज़ोरी के किसी भी संकेत की पहचान करने के लिए समय-समय पर उनकी निगरानी करता है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष उल्लेख खातों की पहचान करने के लिए एक प्रणाली भी स्थापित की है।

सभी बकाया ऋण खातों की वार्षिक समीक्षा: ऋण समीक्षा तंत्र ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए एक उपकरण है। यह ऋण पुस्तिका की गुणवत्ता का निरंतर मूल्यांकन करने और ऋण प्रशासन में सुधार लाने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। बैंक ने सभी बकाया ऋण खातों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है।

3. पात्र संपार्श्विक

बैंक अपने सामने आने वाले ऋण जोखिमों को कम करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, जोखिम को प्रथम प्राथमिकता वाले दावों द्वारा संपार्श्विक बनाया जा सकता है, या किसी तीसरे पक्ष द्वारा गारंटी दी जा सकती है, आदि।

ऋण जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य तीसरे पक्ष की गारंटी सहित मूर्त और वसूली योग्य प्रतिभूतियों का सुरक्षा जाल बनाकर तथा देनदार के दिवालियापन/दिवालियापन/परिसमापन की स्थिति में सुरक्षित ऋणदाता का दर्जा प्राप्त करके ऋण जोखिम में कमी लाना है।

वर्तमान में, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्वीकार किए गए नीचे उल्लिखित उपकरण/संपार्श्विक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बेसल III दिशानिर्देशों के तहत ऋण जोखिम शमन के लिए पात्र हैं:

• बैंक गारंटी (गारंटियाँ)

• मूल संस्थान की कॉर्पोरेट गारंटी

• केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी सरकारी गारंटी

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र

विवरण	**30 सितंबर, 2025 तक राशि (करोड़ में)**
निधि आधारित एक्सपोज़र	1,04,596.40
गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र	8,424.34
कुल सकल ऋण जोखिम*	1,13,020.74

** सकल ऋण जोखिम में ऋण एवं अग्रिम (एनपीए के लिए प्रावधानों को घटाकर) शामिल हैं।*

ख. एक्सपोज़रस का भौगोलिक वितरण

एक्सपोज़रस	**30 सितंबर, 2025 तक राशि (करोड़ में)**		
	निधि आधारित एक्सपोजर	**गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र**	**कुल**
घरेलू परिचालन	1,04,596.40	8,424.34	1,13,020.74
विदेशी परिचालन	-	-	-
कुल	**1,04,596.40**	**8,424.34**	**1,13,020.74**

ग. उद्योग प्रकार एक्सपोज़र का वितरण

उद्योग	**30 सितंबर, 2025 तक राशि (करोड़ में)**	
	निधि आधारित एक्सपोजर	**गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र**
आवास वित्त कंपनियाँ	78,640.51	1,375.72
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	19,923.79	890.00
शहरी अवसंरचना विकास निधि	1,394.62	6,143.62
परियोजना वित्त	47.93	15.00
ट्रेप्स उधार	4,589.55	-
कुल	**1,04,596.40**	**8,424.34**

घ. उन उद्योगों का ऋण जोखिम, जिनका बकाया जोखिम बैंक के कुल सकल ऋण जोखिम के 5% से अधिक है, निम्नानुसार है:

30 सितंबर, 2025 तक

उद्योग	कुल एक्सपोजर (करोड़ में)	कुल सकल ऋण जोखिम का %
आवास वित्त कंपनियाँ	80,016.23	70.80%
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	20,813.79	18.42%
शहरी अवसंरचना विकास निधि	7,538.24	6.67%

ड़. परिसंपत्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विवरण

परिपक्वता पैटर्न	निवेश	ऋण और अग्रिम	कुल
1 से 7 दिन	0.00	9,712.30	9,712.30
8 से 14 दिन	469.50	93.74	563.24
15 से 28 दिन	0.63	0.00	0.63
29 दिन से 3 महीने	1,877.99	187.94	2,075.45
3 महीने से अधिक से 6 महीने	953.96	5,406.99	6,360.95
6 महीने से अधिक से 1 वर्ष	218.29	9,709.27	9,927.56
1 वर्ष से अधिक से 2 वर्ष	644.77	18,005.52	18,650.29
2 वर्ष से अधिक से 3 वर्ष	95.26	16,020.56	16,115.82
3 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष	136.23	23,774.76	23,910.99
5 वर्ष से अधिक से 7 वर्ष	958.17	14,090.12	15,048.29
7 वर्ष से अधिक से 10 वर्ष	29.82	7,595.20	7,625.02
10 वर्ष से अधिक	0.00	0.00	0.00
कुल	**5,384.62**	**104,596.40**	**109,990.54**

च. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की राशि

			राशि (करोड़ में)
क्र. सं.	**विवरण**		**सितंबर 2025**
क)	**सकल एनपीए**		
	•	उप- मानक	9.09
	•	संदिग्ध 1	-
	•	संदिग्ध 2	-
	•	संदिग्ध 3	644.60
	•	हानि	-
ख)	**शुद्ध एनपीए**		-
	एनपीए अनुपात		-

ग)	•	सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए (%)	0.62%
	•	शुद्ध अग्रिमों की तुलना में शुद्ध एनपीए (%)	0.00%
घ)	**एनपीए की गतिशीलता (सकल)**		
	•	आरंभिक शेष	656.41
	•	वृद्धि	-
	•	कटौती	2.72
	•	अंतिम शेष	653.69
ड़)	**एनपीए के लिए प्रावधानों की गतिशीलता**		
	•	आरंभिक शेष	656.41
	•	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	-
	•	बट्टे खाते में डालना	-
	•	अतिरिक्त प्रावधानों को वापस लिखना	2.72
	•	प्रावधानों के बीच स्थानांतरण सहित कोई अन्य समायोजन	-
	•	अंतिम शेष	653.69
च)	गैर-निष्पादित निवेश की राशि		0.53
छ)	गैर-निष्पादित निवेशों के लिए रखे गए प्रावधानों की राशि		0.53
झ)	निवेश पर मूल्यह्रास के प्रावधानों का संचलन		
	•	आरंभिक शेष	61.04
	•	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	-
	•	बट्टे खाते में डालना	-
	•	अतिरिक्त प्रावधानों को वापस लिखना	-
	•	अंतिम शेष	61.04

छ. प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार के अनुसार

उद्योग / प्रतिपक्ष	सकल एनपीए	पिछले देय ऋण	प्रावधान	वर्तमान अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाले गए
आवास वित्त कंपनियाँ	644.60	संदिग्ध-3	644.60	-
	9.09	उप- मानक	9.09	-
कुल	**653.69**		**653.69**	**-**

डीएफ-4- मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए ऋण जोखिम प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क्रेडिट जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत रेटिंग एजेंसी का उपयोग

बैंक, पूंजी गणना प्रक्रिया में बाह्य रेटिंग के अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित ढाँचे द्वारा निर्देशित होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार, घरेलू जोखिमों के लिए जोखिम भार का आकलन घरेलू ईसीएआई (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान) द्वारा दी गई बाह्य रेटिंग के आधार पर किया जाएगा।

बैंक ने पूंजी पर्याप्तता गणना के लिए घरेलू जोखिमों के जोखिम भार के उद्देश्य से निम्नलिखित घरेलू ऋण रेटिंग एजेंसियों की पहचान की है:

• एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूइट)
• क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केयर)
• क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड
• आईसीआरए लिमिटेड
• इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स)
• इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (इन्फोमेरिक्स)

बैंक ने पूंजी पर्याप्तता गणना के लिए उनके दावों के जोखिम भारांकन के उद्देश्य से निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों की पहचान की है:

• फिच
• मूडीज़
• स्टैंडर्ड एंड पूअर्स

बैंक इन एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के बीच न तो कोई भेदभाव करेगा और न ही उनके उपयोग को किसी विशेष प्रकार के जोखिम तक सीमित करेगा।

बैंक बाहरी ऋण रेटिंग मूल्यांकन का उपयोग करते समय निरंतरता और रूढ़िवादिता सुनिश्चित करेगा। बैंक जोखिम भारांकन और जोखिम प्रबंधन दोनों उद्देश्यों के लिए, प्रत्येक प्रकार के दावे के लिए चुनी गई ऋण रेटिंग एजेंसियों और उनकी रेटिंग का लगातार उपयोग करेगा। बैंक केवल उन्हीं रेटिंग का उपयोग करेगा जो प्रतिपक्ष द्वारा मांगी गई हों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों।

बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा/उधारकर्ता की बाह्य रेटिंग की समीक्षा रेटिंग एजेंसी द्वारा पिछले 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार की गई है तथा यह रेटिंग आवेदन की तिथि पर लागू है।

एक वर्ष से कम या उसके बराबर की संविदात्मक परिपक्वता अवधि वाले ऋणों के लिए, चयनित ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाएगा। अन्य ऋणों के लिए, जिनकी संविदात्मक परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक है, चयनित ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाएगा।

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, नकद ऋण जोखिम को दीर्घकालिक जोखिम के रूप में गिना जाएगा और तदनुसार, चयनित ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई दीर्घकालिक रेटिंग प्रदान की जाएगी।

बैंक किसी प्रतिपक्षकार की दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग उसी प्रतिपक्षकार पर अनिर्धारित अल्पकालिक जोखिम के प्रॉक्सी के रूप में करेगा। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, बैंक घरेलू ऋण रेटिंग एजेंसियों की अल्पकालिक रेटिंग के लिए रेटिंग-जोखिम भार मानचित्रण का पालन करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश उन सुविधाओं के लिए विशिष्ट शर्तें निर्धारित करते हैं जिनकी एक से ज़्यादा रेटिंग होती हैं। इस संदर्भ में, किसी सुविधा के लिए, जहाँ दो रेटिंग होती हैं, सबसे कम रेटिंग और जहाँ तीन या उससे ज़्यादा रेटिंग होती हैं, दूसरी सबसे कम रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक के दीर्घावधि और अल्पावधि ऋणों के लिए क्रमशः दी गई सभी दीर्घावधि और अल्पावधि रेटिंगों को बैंक द्वारा मुद्दा विशिष्ट रेटिंग के रूप में माना जाएगा।

प्रतिपक्ष पर बिना रेटिंग वाले अल्पकालिक दावे पर उस प्रतिपक्ष पर रेटिंग वाले अल्पकालिक दावे पर लागू जोखिम भार से कम से कम एक स्तर अधिक जोखिम भार लगेगा।

यदि किसी जारीकर्ता के पास बाह्य दीर्घकालिक रेटिंग के साथ अल्पकालिक या दीर्घकालिक जोखिम है, जो 150 प्रतिशत के जोखिम भार को प्रमाणित करता है, तो उसी प्रतिपक्ष पर सभी गैर-रेटेड दावों को, चाहे वे अल्पकालिक हों या दीर्घकालिक, 150 प्रतिशत जोखिम भार प्राप्त होगा, जब तक कि बैंक ने ऐसे दावों के लिए मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम शमन तकनीकों का उपयोग नहीं किया हो।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

बैंक के एक्सपोज़र की राशि - प्रमुख जोखिम श्रेणियों में सकल अग्रिम (रेटेड और अनरेटेड) - मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत:

		30 सितंबर, 2025 तक राशि (करोड़ में)
क्र. सं.	**विवरण**	**निधि आधारित एक्सपोजर राशि^**
1	100% जोखिम भार से कम	1,04,040.94
2	100% जोखिम भार	506.03
3	100% से अधिक जोखिम भार	49.44
4	घटाया गया (जोखिम न्यूनीकरण)	-

^ सकल अग्रिम (रेटेड और अनरेटेड) में आवास वित्त कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, शहरी अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत राज्य सरकारों, परियोजना वित्त ग्राहकों और ट्रेप्स ऋण के लिए ऋण शामिल हैं।

प्रकटीकरण प्रारूप -17: लेखांकन परिसंपत्तियों बनाम उत्तोलन अनुपात जोखिम माप की सारांश तुलना

क्र. सं	विवरण	30 सितंबर, 2025 तक राशि (करोड़ में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित परिसंपत्तियाँ	1,11,595.78
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जो लेखांकन उद्देश्यों के लिए समेकित हैं लेकिन नियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं	-
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसार बैलेंस शीट पर मान्यता प्राप्त प्रत्ययी परिसंपत्तियों के लिए समायोजन, लेकिन उत्तोलन अनुपात जोखिम माप से बाहर रखा गया	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के लिए समायोजन	248.90
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (अर्थात, रेपो और समान सुरक्षित उधार) के लिए समायोजन	-
6	ऑफ-बैलेंस शीट मदों के लिए समायोजन (अर्थात, ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र की ऋण समतुल्य राशि में रूपांतरण)	3,527.95
7	अन्य समायोजन	(14.12)
8	**उत्तोलन अनुपात जोखिम**	**1,15,358.51**

डीएफ -18: उत्तोलन अनुपात सामान्य प्रकटीकरण

	विवरण	30 सितंबर, 2025 तक उत्तोलन अनुपात ढांचा (करोड़ रुपये में)
	बैलेंस शीट पर एक्सपोज़र	
1	बैलेंस शीट मदें (डेरिवेटिव और एसएफटी को छोड़कर, लेकिन संपार्श्विक सहित)	1,11,595.78
2	(बेसल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण में कटौती की गई परिसंपत्ति राशि)	(14.12)
3	बैलेंस शीट पर कुल जोखिम (डेरिवेटिव और एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	1,11.581.66
	व्युत्पन्न जोखिम	
4	सभी डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़ी प्रतिस्थापन लागत (अर्थात, पात्र नकद परिवर्तन मार्जिन का शुद्ध)	163.20
5	सभी डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़ी पीएफई के लिए अतिरिक्त राशियाँ	85.70
6	डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए सकल-अप, बशर्ते कि परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसार बैलेंस शीट परिसंपत्तियों से घटाया गया हो	-
7	(डेरिवेटिव लेनदेन में प्रदान किए गए नकद परिवर्तन मार्जिन के लिए प्राप्य परिसंपत्तियों की कटौती)	-
8	(ग्राहक द्वारा समाशोधित व्यापार जोखिमों का छूट प्राप्त सीसीपी चरण)	-
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव की समायोजित प्रभावी काल्पनिक राशि	-
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट और अतिरिक्त कटौती)	-
11	**कुल व्युत्पन्न जोखिम (पंक्तियों 4 से 10 का योग)**	248.90
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन जोखिम	
12	सकल एसएफटी परिसंपत्तियाँ (बिना किसी शुद्ध लाभ की पहचान के), बिक्री लेखांकन लेनदेन के समायोजन के बाद	-
13	(सकल एसएफटी परिसंपत्तियों की नकद देय राशि और नकद प्राप्य राशि की शुद्ध राशि)	-
14	एसएफटी परिसंपत्तियों के लिए सीसीआर जोखिम	-
15	एजेंट लेनदेन जोखिम	-
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन जोखिम (पंक्तियों 12 से 15 का योग)**	-
	अन्य ऑफ-बैलेंस शीट जोखिम	
17	सकल काल्पनिक राशि पर तुलन-पत्र से इतर जोखिम	8,424.34
18	(ऋण समतुल्य राशियों में रूपांतरण हेतु समायोजन)	(4896.39)

19	तुलन-पत्र से इतर मदें (पंक्तियों 17 और 18 का योग)	3,527.95
पूंजी और कुल जोखिम		
20	टियर 1 पूँजी	15,958.19
21	कुल जोखिम (पंक्तियों 3, 11, 16 और 19 का योग)	1,15,358.51
उत्तोलन अनुपात		
22	**बेसल III उत्तोलन अनुपात**	13.83%